<u>र</u>जिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092024-256849 CG-DL-E-02092024-256849

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233] No. 233] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2024/भाद्र 11, 1946 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2024/BHADRA 11, 1946

विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली. 2 सितम्बर. 2024

- विषय 01 सितम्बर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए भारत के तेईसवें विधि आयोग का गठन।
- सं. ए-60011/225/2022-प्रशा.III.—01 सितम्बर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए भारत के तेईसवें विधि आयोग के गठन को राष्ट्रपति की मंजूरी एतद्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:
 - (i) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष;
 - (ii) चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित);
 - (iii) सचिव, विधि कार्य विभाग बतौर *पदेन* सदस्य;
 - (iv) सचिव, विधायी विभाग बतौर पदेन सदस्य; तथा
 - (v) अधिकतम पांच अंशकालिक सदस्य।

5612 GI/2024 (1)

- 2. विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।
- 3. अध्यक्ष, सदस्यों (सदस्य-सचिव सहित) और अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर भी राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की जाती है: -

(क) आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष/ सदस्य

(क) उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश

- (i) विधि आयोग के अध्यक्ष/सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में सेवारत न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय से अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या आयोग के कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पूर्णकालिक आधार पर अपने कार्य निष्पादित करेंगे।
- (ii) आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में उनके द्वारा ऐसे कार्यों के निष्पादन में व्यतीत समय निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए "वास्तविक सेवा" मानी जाएगा: -
 - (क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में, समय-समय पर यथा संशोधित उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 2(ख)(i);
 - (ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 2(ग)(i), समय-समय पर यथा संशोधित।
- (iii) आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के कार्यों और कर्तव्यों के निष्पादन के लिए उन्हें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वेतन के अलावा कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक स्वीकार्य नहीं होगा।
- (iv) अपने कार्यकाल के दौरान आयोग के कार्य के सिलसिले में की गई यात्राओं के लिए, अध्यक्ष/सदस्य उसी दर पर यात्रा भत्ता पाने के हकदार होंगे, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्वीकार्य है, जैसा भी मामला हो और अन्य सभी मामलों में, अध्यक्ष/सदस्य निम्नलिखित द्वारा शासित होंगे:
 - (क) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1958 तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1959 तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में इसके अधीन बनाए गए अन्य नियम;
 - (ख) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1954 तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1956 तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में इसके अधीन बनाए गए अन्य नियम।
- (v) यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष/सदस्य स्वयं नियंत्रण अधिकारी होंगे।

(ख) अध्यक्ष/पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की अन्य श्रेणी

- (i) अध्यक्ष ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) (निर्धारित) प्रतिमाह वेतन के हकदार होंगे। सदस्यों के मामले में ₹ 2,25,000/- (दो लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) (निर्धारित) प्रतिमाह वेतन स्वीकार्य होगा। सेवानिवृत्त व्यक्ति (सेवानिवृत्त न्यायाधीशों सहित) के मामले में वेतन (पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों के समतुल्य पेंशन सहित) सर्वाधिक ₹ 2,50,000/- रुपये या ₹ 2,25,000/- रुपये प्रति माह, जैसा भी मामला हो, मौजूदा सरकारी अनुदेशों के अनुसार स्वीकार्य होगा।
- (ii) अध्यक्ष/सदस्य उन भत्तों और अन्य निबंधनों व शर्तों के हकदार होंगे जो समान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को स्वीकार्य हैं।
- (iii) अध्यक्ष/सदस्य, नियुक्ति की तारीख से अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने के हकदार होंगे, जोकि पुनर्नियोजित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू ऐसी शर्तों के अधीन हो।
- (iv) यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष/सदस्य स्वयं नियंत्रण अधिकारी होंगे।
- (v) अध्यक्ष/सदस्य केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी को स्वीकार्य छुट्टी के हकदार होंगे तथा आयोग में कार्यकाल की समाप्ति पर छुट्टियों के नकदीकरण के भी हकदार होंगे,

बशर्ते कि सरकार से सेवानिवृत्ति (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के मामले में) पर तथा आयोग में कार्यकाल की समाप्ति पर ली गई छुट्टी के नकदीकरण के दिनों की कुल संख्या 300 दिनों तक सीमित हो।

(ग) पूर्णकालिक सदस्य-सचिव / सचिव

(i) पूर्णकालिक सदस्य-सचिव (भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में), भारतीय विधि सेवा का सेवारत सदस्य होगा।

(घ) अंशकालिक सदस्य

- (i) अंशकालिक सदस्य को ₹ 50,000/- रूपये (केवल पचास हजार रूपये) प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।
- (ii) आयोग के कार्य के सिलसिले में की गई यात्राओं के लिए, अंशकालिक सदस्यों, जो गैर-सरकारी हैं, का यात्रा भत्ता भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के समान देय होगा।
- (iii) यदि यात्रा हवाई जहाज से की जाती है, तो अध्यक्ष और सदस्य-सचिव/सचिव यात्रा की श्रेणी अर्थात इकोनॉमी क्लास या एक्जीक्यूटिव क्लास का निर्णय करेंगे और अंशकालिक सदस्यों के मामले में, जो सरकारी कर्मचारी हैं, आयोग के कार्य के संबंध में यात्रा के लिए यात्रा भत्ता सरकारी कर्मचारी के रूप में उन पर लागू प्रासंगिक नियमों द्वारा शासित होगा।
- (iv) आयोग का अध्यक्ष अंशकालिक सदस्यों के यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए नियंत्रण अधिकारी होगा।
- (v) आयोग के अंशकालिक सदस्यों के मामले में, यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए उनके निवास का सामान्य स्थान, जिसका उल्लेख पहले से किया जाएगा, उनका संबंधित मुख्यालय होगा।
- (ड.) आयोग के अध्यक्ष और सदस्य (सदस्य सचिव को छोड़कर) पद पर रहते हुए किसी भी मामले में मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेंगे। हालांकि, केंद्र सरकार उन्हें नियुक्ति के समय उनके पास लंबित माध्यस्थमों को अधिक से अधिक छह महीने की अविध के भीतर पूरा करने की अनुमित दे सकती है।

4. तेईसवें विधि आयोग के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:

क. अप्रचलित विधियों की समीक्षा /निरसन:

- (i) ऐसी विधि जो अब आवश्यक या प्रासंगिक नहीं हैं तथा जिन्हें तुरंत निरस्त किया जा सकता है की पहचान करना।
- (ii) भाषा और प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा विधियों की *समय* -समय पर समीक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाना।
- (iii) उन विधियों की पहचान करना जो आर्थिक और समय की जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं तथा जिनमें बदलाव की आवश्यकता है।
- (iv) उन विधियों की पहचान करना जिनमें परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता है तथा उनके संशोधन के लिए सुझाव देना।
- (v) विभिन्न मंत्रालय/विभाग के विशेषज्ञ समूहों द्वारा विधियों में संशोधन/पुनरीक्षण के लिए दिए गए सुझावों पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना ताकि उनमें समन्वय और सामंजस्य स्थापित किया जा सके।
- (vi) एक से अधिक मंत्रालयों/विभागों के कामकाज पर असर डालने वाले विधानों के संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग के माध्यम से मंत्रालयों/विभागों द्वारा भेजे गए संदर्भों पर विचार करना।
- (vii) विधि के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना।

ख. विधि और निर्धनता:

- (i) निर्धनो को प्रभावित करने वाली विधियों की जांच करना तथा सामाजिक-आर्थिक विधानों के लिए अधिनियमन-पश्चात परीक्षण करना।
- (ii) निर्धनो की सेवा में विधि और विधिक प्रक्रिया के सदुपयोग के लिए सभी आवश्यक उपाय करना।

- ग. न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह समय की उचित मांगों के प्रति उत्तरदायी है और विशेष रूप से निम्न को सुनिश्चित करना:
 - (i) विलम्ब को समाप्त करना, बकाया राशि का शीघ्र निपटान करना तथा लागत में कमी करना, ताकि मामलों का शीघ्र तथा किफायती निपटान सुनिश्चित किया जा सके तथा इस मूलभूत सिद्धांत पर कोई प्रभाव न पड़े कि निर्णय न्यायसंगत तथा निष्पक्ष हो।
 - (ii) प्रक्रियाओं और न्यायालयीन प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा एकरूपता और समझने तथा कार्यान्वयन में आसानी के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों के नियमों में सामंजस्य का सुझाव देना।
 - (iii) विलम्ब के लिए तकनीकी जटिलताओं और उपकरणों को कम करने और समाप्त करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण, ताकि यह अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे।
 - (iv) केस प्रबंधन सुनवाई और केस प्रवाह (फ्लो) प्रबंधन के लिए ढांचे का कार्यान्वयन।
 - घ. राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धांतों के प्रकाश में मौजूदा विधियों की जांच और समुन्नति व सुधार के तरीके सुझाना और ऐसे विधानों का सुझाव देना जो निदेशात्मक सिद्धांतों को लागू करने और संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकें।
 - ड. लैंगिक समानता को बढ़ावा देने मद्देनज़र मौजूदा विधियों की जांच करना और उनमें संशोधन का सुझाव देना।
 - च. सामान्य महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों को पुनरीक्षित करना ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके तथा विसंगतियों, अस्पष्टताओं और असमानताओं को दूर किया जा सके।
 - छ. विधि और न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर अपने विचार सरकार को बताना तथा इनपर विचार करना, जिसे सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से विशेष रूप से संदर्भित किया गया हो।
 - ज. सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से किसी विदेशी देश को अनुसंधान में सहायता / मार्गदर्शन प्रदान करने के अनुरोध पर विचार करना।
 - **झ.** खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना तथा वंचित लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना।
- 5. विधि आयोग इस प्रयोजन के लिए आवश्यक नोडल मंत्रालय /विभाग(विभागों) और ऐसे अन्य हितधारकों के साथ जोकि यह आवश्यक समझे परामर्श के बाद अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगा।
- 6. विधि आयोग अपनी रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पर्याप्त संख्या में प्रतियों के साथ संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने के लिए प्रस्तुत करेगा तथा जैसे ही सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है इसे वेबसाइट या अन्य माध्यम से भी उपलब्ध कराएगा।
- 7. विभिन्न विधि आयोगों द्वारा प्रस्तुत <u>रिपोर्टें https://lawcommissionofindia.nic.in</u> वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। शोधकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने और आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में की गई विभिन्न सिफारिशों के बारे में न्यायाधीशों, वकीलों, विधि शिक्षकों और छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, सभी रिपोर्टों का संक्षिप्त सारांश ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।
- 8. विधि आयोग देश और विदेश में प्रतिष्ठित विधि विश्वविद्यालयों/विधि विद्यालयों तथा नीति अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी नेटवर्क विकसित कर सकता है। ये भारत में मान्यता प्राप्त विधि महाविद्यालयों/विद्यालयों/विश्वविद्यालयों से विधि में नए स्नातकों/छात्रों को अपने स्वैच्छिक इंटर्निशिप कार्यक्रम के तहत इंटर्निशिप के अवसर भी प्रदान कर सकता है, जिसका विवरण इसकी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा सकता है।
- 9. विधि आयोग विषय-वस्तु की प्रकृति या तात्कालिकता के आधार पर विशिष्ट परियोजनाओं या कार्य के लिए परामर्शदाताओं/ विधि परामर्शदाताओं या विशेषज्ञों की भी नियुक्ति कर सकता है।
- 10. इसमें शामिल व्यय मुख्य शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ लघु शीर्ष 00.105- विशेष जाँच आयोग 01 विधि आयोग, माँग संख्या 65 के अंतर्गत, विधि और न्याय मंत्रालय, जहाँ तक वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-2025 का संबंध

- है, में डेबिट किए जाने योग्य है। वित्तीय वर्ष 2025-2026 और 2026-27 के संबंध में, व्यय को उन वर्षों के लिए संसद द्वारा दत्तमत तदनुरूप अनुदानों से पुरा किया जाएगा।
- 11. इस आदेश को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमित से उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या 19047/5/2024-ई.IV दिनांक 14.08.2024 और साथ ही मंत्रिमंडल के पत्र सं. 25/CM/2024 दिनांक 02.09.2024 के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अजय कुमार अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

ORDER

New Delhi, the 2nd September, 2024

Subject: Constitution of Twenty-third Law Commission of India for a term of three years from 01st September, 2024 to 31st August, 2027.

No. A-60011/225/2022-Admn. III.—The sanction of the President is hereby accorded to the constitution of the Twenty-third Law Commission of India for a period of three years from 01st September, 2024 to 31st August, 2027 consisting of:

- (i) a full-time Chairperson;
- (ii) four full-time Members (including Member-Secretary);
- (iii) Secretary, Department of Legal Affairs as ex officio Member;
- (iv) Secretary, Legislative Department as ex officio Member; and
- (v) not more than five part-time Members.
- 2. The Headquarters of the Law Commission will be at New Delhi.
- 3. Sanction of the President is also accorded to the following terms and conditions of appointment of the Chairperson, Members (including Member-Secretary) and part-time Members: -

(A) FULL-TIME CHAIRPERSON/ MEMBERS OF THE COMMISSION

(a) SERVING JUDGES OF SUPREME COURT/HIGH COURT

- (i) The Chairperson/Members of the Law Commission who are serving Judges of the Supreme Court / High Court shall perform their functions on a whole-time basis up to the date of retirement from the Supreme Court/High Court or expiry of the term of the Commission, whichever be earlier.
- (ii) The time spent by them in the performance of such functions as Chairperson/ Member of the Commission shall be treated as "actual service" for purposes of: -
 - (a) in the case of a Supreme Court Judge, section 2(b)(i) of the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958, as amended from time to time;
 - (b) in the case of a High Court Judge, Section 2(c)(i) of the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954, as amended from time to time.
- (iii) No additional remuneration apart from the salary, as a Judge of the Supreme Court or High Court, as the case may be, shall be admissible to them for performing the functions and duties of Chairperson/ Member of the Commission.
- (iv) For journeys performed in connection with the work of the Commission during the period of his assignment, the Chairperson/Member shall be entitled to draw travelling allowance at the same rate as admissible to a Judge of the Supreme Court or High Court, as the case may be and in all other matters, the Chairperson/Member will be governed by:

- (a) the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 and the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959 and other rules framed thereunder in the case of a Judge of the Supreme Court;
- (b) the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 and the High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956, and other rules framed thereunder in the case of a Judge of a High Court.
- (v) The Chairperson/Member shall be his own controlling officer for the purpose of travelling allowance.

(B) OTHER CATEGORY OF PERSONS APPOINTED AS CHAIRPERSON/FULL -TIME MEMBERS

- (i) The Chairperson shall be entitled a pay of ₹ 2,50,000/- (Rupees Two Lakh Fifty Thousand only) (fixed) per month. In case of Members, a pay of ₹ 2,25,000/- (Rupees Two lakh twenty-five thousand only) (fixed) per month will be admissible. In the case of a retired person (including retired judges) the pay (including pension or pension equivalent to the retirement benefits) not exceeding ₹ 2,50,000/- or ₹ 2,25,000/- per month, as the case may be, shall be admissible as per existing Government instructions.
- (ii) The Chairperson/Member shall be entitled to allowances and other terms and conditions as are admissible to an officer of the Central Government getting equal pay.
- (iii) The Chairperson/Member shall be entitled to make contributions to the contributory provident fund from the date of appointment in accordance with the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, subject to such conditions as are applicable to re-employed Central Government servants.
- (iv) The Chairperson/Member shall be his own controlling officer for the purpose of travelling allowance.
- (v) The Chairperson/Member shall be entitled to leave as admissible to a Government servant under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 and shall also be entitled to encashment of leave at the end of tenure in the Commission, provided that the total number of days of encashment of leave taken on retirement from Government (in case of retired Government servant) and at the end of tenure in the Commission shall be restricted to 300 days.

(C) FULL-TIME MEMBER-SECRETARY/ SECRETARY

(i) A Full-time Member-Secretary (in the rank and pay of Secretary to the Government of India), shall be a serving Member of the Indian Legal Service.

(D) PART-TIME MEMBERS

- (i) A Part Time Member shall be paid an honorarium of ₹ 50,000/- (Rupees Fifty thousand only) per month.
- (ii) For the journeys performed in connection with the work of the Commission, the travelling allowance of the part-time Members who are non-officials shall be as admissible to officers of the level of Joint Secretary in the Government of India.
- (iii) If the journey is performed by air, the Chairperson and Member-Secretary /Secretary, shall decide the class of travel *i.e.* economy class or executive class and in the case of part-time Members, who are Government servants, the travelling allowance for journeys in respect of the work of the Commission shall be governed by the relevant rules applicable to them as Government servants.
- (iv) The Chairperson of the Commission shall be the controlling officer for the purpose of the travelling allowance of the part-time Members.
- (v) In the case of Part-time Members of the Commission, the ordinary place of their residence, to be named in advance shall be their respective Headquarters for the purpose of travelling allowance.
- (E) The Chairperson and Members (excluding the Member Secretary) of the Commission, while holding the office shall not act as arbitrator in any matter. However, the Central Government may permit them to complete pending arbitrations with them at the time of their appointment, within a period not exceeding six months.
- 4. The terms of reference of the Twenty-third Law Commission shall be as under:-

A. Review/Repeal of obsolete laws:

(i) Identify laws which are no longer needed or relevant and can be immediately repealed.

- (ii) Creating a Standard Operating Procedure (SoP) for periodic review of existing laws *inter-alia* for the undertaking of simplification of language and processes.
- (iii) Identify laws which are not in harmony with the economic needs and requirements of the times and require amendments.
- (iv) Identify laws which otherwise require changes or amendments and to make suggestions for their amendment.
- (v) Consider in a wider perspective the suggestions for revision/amendment in laws given by Expert Groups in various Ministries/Departments with a view to coordinating and harmonizing them.
- (vi) Consider references made to it by Ministries/Departments through the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, in respect of legislations having bearing on the working of more than one Ministry/Department.
- (vii) Suggest suitable measures for quick redressal of citizens grievances, in the field of law.

B. Law and Poverty:

- (i) Examine the laws which affect the poor and carry out post enactment-audit for socio-economic legislations.
- (ii) Take all such measures as may be necessary to harness law and the legal process in the service of the poor.
- **C.** Keep under review the system of judicial administration to ensure that it is responsive to the reasonable demands of the times and in particular to secure:
 - (i) elimination of delays, speedy clearance of arrears and reduction in costs so as to secure quick and economical disposal of cases without affecting the cardinal principle that decision should be just and fair.
 - (ii) Simplification of processes and court procedures and suggesting harmonising Rules of various High Courts for the sake of uniformity and ease of understanding and implementation.
 - (iii) simplification of procedure to reduce and eliminate technicalities and devices for delay so that it operates not as an end in itself but as a means of achieving justice.
 - (iv) Implementation of framework for case management hearing and case flow management.
- **D.** Examine the existing laws in the light of Directive Principles of State Policy and to suggest ways of improvement and reform and also to suggest such legislations as might be necessary to implement the Directive Principles and to attain the objectives set out in the Preamble of the Constitution.
- **E.** Examine the existing laws with a view for promoting gender equality and suggesting amendments thereto.
- **F.** Revise the Central Acts of general importance so as to simplify them and to remove anomalies, ambiguities and inequities.
- **G.** Consider and convey to the Government its views on any subject relating to law and judicial administration that may be specifically referred to it by the Government through Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs).
- **H.** Consider the requests for providing research assistance/guidance to any foreign countries as may be referred to it by the Government through the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs).
- **I.** Examine the impact of globalization on food security, unemployment and recommend measures for the protection of the interests of the marginalized.
- **5.** The Law Commission shall finalize its recommendations after consultation with the nodal Ministry/Department(s) and such other stakeholders as it may deem necessary for the purpose.
- **6.** The Law Commission shall submit its reports both in Hindi and English language with sufficient number of copies for being placed on Tables of both Houses of Parliament and shall also make its reports available through website or otherwise as soon as Reports are submitted to the Government.
- 7. The Reports submitted by the various Law Commissions are available on the website https://lawcommissionofindia.nic.in To facilitate the Researchers and to create awareness amongst Judges, Lawyers, Law Teachers and Students, on the various recommendations made in the Reports of the Commission, a brief summary of all the Reports shall be made available online.

- **8.** The Law Commission may develop partnership network with reputed Law Universities/Law Schools and policy research institutions in the country and abroad. It may also provide opportunities of internship to fresh graduates/students of law from recognised law colleges/schools/universities in India, under its voluntary internship programme, the details of which may be published on its website.
- **9.** The Law Commission may also engage consultants / legal consultants or experts for specific projects or work depending on the nature or urgency of the subject matter.
- 10. The expenditure involved is debitable to the Major Head 2070 Other Administrative Services Minor Head 00.105 Special Commissions of Enquiry 01 Law Commission, under Demand No.65, Ministry of Law and Justice, in so far as the current financial year 2024-2025 is concerned. As regards the financial years 2025-2026 and 2026-27, the expenditure will be met from the corresponding Grants that may be voted by Parliament for those years.
- 11. This order issues with the concurrence of the Ministry of Finance (Department of Expenditure) *vide* their OM No. 19047/5/2024-E.IV Dated 14.08.2024 and also with the approval of the Cabinet *vide* their communication No. 25/CM/2024 Dated 02.09.2024.

AJAY KUMAR ARORA, Jt. Secy.